

2026/17

16/01/26
28/04/26

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

पुखराज सिंह बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण
 किस्म मुकदमा इजराय (11) मु.नं. 02 वर्ष 2026

दिनांक	आज्ञा - पत्र
06 ⁰¹ / ₂₆	<p>वकील प्रार्थीगण/डिक्रीदारगण द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 201/2025 बउनवान पुखराज सिंह आदि बनाम अमीर कंवर आदि में निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2025 की पालना के संबंध में है।</p> <p>अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 16.01.2026 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला सीकर</p>
16 ⁰¹ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 29/26 को पेश हो।</p>
29 ⁰⁴ / ₂₆	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/डिक्रीदार उप.। प्रकरण इजराय में वर्धित निर्णय व डिक्री की पालना के संबंध में तहसीलदार सीकर ग्रामीण के पत्रांक अ.अ. 28/1358 दि. 23 ⁰⁴/₂₆ के द्वारा पालना की जाऊँ पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रॉप ही जाती है। पत्रावली फंसल शुमाड होकर बाह तहसीलदार जिला दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

